

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश (लखनऊ)**

संख्या:- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय आश:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/आर्मेसी कन्वैन्शन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु किलोवा राशीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता वित्तिय प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उद्योग-प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता वित्तिय/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता बुद्धि सॉल्यूशन अन्य गणों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के 14-8-20 में कियोगे हुए इन्हीं पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्था मिलके द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्था में संचालित पूर्व पाठ्यक्रमों में कतिपय पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता में कमी एवं बढ़ोत्तरी किये जाने का अनुमोदन किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु एम्पाईसीटीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रदान क्षमता हेतु सम्बद्धता वित्तिय प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एम्पाईसीटीआईओ/द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	एम्पाईसीटीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	1887	विश्वानंद कलेज ऑफ एज्युकेशन, कानपुर	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इन्फोर्मेशनल इन्फो तकनीक	80	30
		आईएम सी ई सी, अलीगढ़।	वैकल्पिक इन्फो तकनीक	80	80
			वैकल्पिक इन्फो तकनीक	80	30
			इंजीनियरिंग एण्ड इंटेलिजेंट सिस्टम	60	80
			इंजीनियरिंग एण्ड इंटेलिजेंट सिस्टम	60	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एम्पाईसीटीआईओ/एम्पाईसीटीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 से सम्बन्धित विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्णय वित्तिय एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन परीक्षा इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्णय किये जाने वाले वास्तविक प्रणाली होगी और अनुसार कार्यवाही किया जाया आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो परीक्षा की मर्यादाएं वही लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (3000 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा 200 समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाय) किनिष्णावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुष्ट प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अंतर्गत छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय प्राप्तवादी का अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को 20भाई0ती0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश हासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अभिनयनों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, 2020 संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाल्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मैरी पाठ्यक्रम को स्थापित यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त कृतबन्धित संस्था का होगा और वैश्विक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई सहायता प्रदान नहीं की जायेगी तथा दायर एवं के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मैरी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेगित प्रदेश परीक्षा हेतु कृतबन्धित प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई.0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को कृतबन्धित करना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रदेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश संस्कार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आस्थाग विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, मान-साला, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, भाजबास मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान-प्रशिक्षण हेतु अनुमोदन प्राप्त करने उपलब्ध करने के सार्व सविन संपर्क के संबंध में समस्त आवश्यक कापस्थ सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को बनाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अभिलेख, सुवि-नपत, कर्मीवर, आकरत इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में अयोज किया जाय है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किने जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता भावी का अनुपालन न किने जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किने जाने की स्थिति में निरानुसार अनुमानित कार्यवाही की जायेगी।

(नाम अज्ञात सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राशिय/परिषद काबदजा/2020/ 1972-3141

तददिनांक-15-09-2020

प्राशियि: प्रधानाचार्य/निदेशक, विदेशालय काबतज ऑफ फा.टी.ई.के.क, पञ्चत बाईबास नरैर रोड, कलीगड।

(नाम अज्ञात सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक 09/08/2021

:-कार्यालय स्थाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कामेंसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित सई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सई पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1687-VIVEKANANDA COLLEGE OF POLYTECHNIC, ALIGARH

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	90	90
2	ELECTRICAL ENGINEERING	90	90
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (REFRIGERATION & AIR CONDITIONING)	30	30
5	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 3०15०.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासन-देश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु कौस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कौस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासन-देश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी स्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग, रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध करायें गये अभिलेख, भूमि-अवत, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, अवत, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

पद्यानाचार्य,निदेशक,VIVEKANANDA COLLEGE OF POLYTECHNIC, ALIGARH



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/78-17

लखनऊ दिनांक 30/08/2022

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु किस्तोंम स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आर्सेडित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1687-VIVEKANANDA COLLEGE OF POLYTECHNIC, ALIGARH

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	90	90
2	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (REFRIGERATION & AIR CONDITIONING)	30	30
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	90	90

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद: एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30160.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 46000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा एक्ट सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशांक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ एटि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशात्मक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध एटि कोई वाद टायर किया जाता है तथा टायर वाद के संबंध में मा, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एटि के वर्ष प्रवेश हेतु आर्सेडित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समा-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साऊ-सजा, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग/रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी

होगी।

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समझ उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औचक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा 30-आई0सी0टी0ई0/पौ0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एफ0आर0 खान)

सचिव

पू0स0- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निर्देशक VIVEKANANDA COLLEGE OF POLYTECHNIC, ALIGARH


(एफ0आर0 खान)

सचिव